भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो

क्षेत्रीय खान नियत्रक का कार्यालय माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002

ई मेल-: <u>ro.ajmer@ibm.gov.in</u> No RAJ/SRH-7/Lst-7 Vol III/ RICH STATE OF STATE O

Government of India

Ministry of Mines

Indian Bureau of Mines

Office of the Regional Controller of Mines.

Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002

Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

Date- 30/7/2018

प्रेषित The Agent,

M/s J. K. Laxmi Cement Ltd.

Post- J K Puram,

Distt. Sirohi, (Rajasthan)- 307019

विषयः राजस्थान राज्य के Sirohi जिले में स्थित आपकी Laxmi Cement limestone mine खान 390.625 हैक्टे में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन (खान कोड संख्या 38RAJ24001)

महोदय.

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 12.7.2018 को उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया हैं। नियम उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 11 (1) The mining operations are beind done in contravention of Following provisions of mining plan approved on 2.2.2015.
  - 1. As per Part A , Para 1.0 i) page 30, 31 & 32, a total of 25 boreholes during 2015-16 and 20 Boreholes during 2016-17 were proposed to be drilled with total meterage as 1685 and 1410m respectively, but out of these only 5 boreholes were stated to be completed to a total meterage of 550m till march 2018.
  - 2. As per Para 4.0, page 83, the ground selected for dumping of Overburden waste had not been proved for absence of mineral as the South eastern part of waste dump WD-1falls under ultimate pit Limit.
- The plans & sections required under these rules had not been kept up dated quarterly.
- 45(5) (C) The information of drilling five boreholes has not been given in the annual return of the mine for the year 2017-18.
- The notice of drilling of boreholes in Form 'I' has not been submitted to the Regional Controller of Mines within fifteen days of commencement of drilling.
- The holder of mining lease is required to keep the records of drilling of boreholes in form 'J'; But the same has not been maintained as per these rules.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

( एच.सी.शर्मा ) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्युरो

- प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :— 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर । (ई—मेल द्वारा) 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान। 3 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो